



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012026-269281
CG-DL-E-12012026-269281

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5| नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 9, 2026/पौष 19, 1947
No. 5| NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 9, 2026/PAUSAH 19, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2026

सं. 42/2025-26

विषय: प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के परिशिष्ट 2प में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 1/89/180/75/एएम-25/पीसी-2(ए)/[ई-44856] —समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक बैंक भुगतान प्राप्ति प्रमाणपत्र (ईबीआरसी) जारी करने हेतु परिशिष्ट 2प में संशोधन को अधिसूचित करते हैं।

2. मौजूदा ई-बीआरसी प्रपत्र में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:

(i) मौजूदा ईबीआरसी प्रपत्र में नए क्षेत्र को जोड़ना

- जीएसटीआइएन
- जीएसटी बीजक सं.
- जीएसटी बीजक दिनांक

(ii) मौजूदा ईबीआरसी प्रपत्र में क्षेत्र स्तरों में परिवर्तन:

- पता/ जीएसटीआइएन को पते में परिवर्तन किया गया।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के परिशिष्ट 2प को उपर्युक्त परिवर्तनों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है (अनुलग्नक-1)। यह 13 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा।

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

परिशिष्ट-2 प

विदेश व्यापार महानिदेशालय
बैंक वसूली का विवरण

1.	फर्म का नाम					
2.	पता					
3.	आईईसी					
4.	जीएसटीआइएन					
5.	शिपिंग बिल सं					
6.	शिपिंग बिल तिथि					
7.	शिपिंग बिल पत्तन					
8.	बिल आईडी सं.					
9.	जीएसटी बीजक सं.					
10.	जीएसटी बीजक तिथि					
11.	सेवाओं के नियति का माध्यम					
12.	बैंक का नाम					
13.	बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र सं.					
14.	बैंक द्वारा राशि के भुगतान की तारीख					
15.	कुल भुगतान किया गया					
16.	कमीशन, छूट, बीमा, माल दुलाई और अन्य कटौतियां					
17.	शुद्ध भुगतान मूल्य					
18.	वसूली की मुद्रा					
19.	मुद्रण की तारीख और समय					
20.	ऑनलाइन सत्यापन के लिए डीजीएफटी की वेबसाइट: https://www.dgft.gov.in पर क्यूआर कोड स्कैन करें	21		स्रोत (बैंक/ नियातिक)		

विवरण के बारे में

- यह विवरण डीजीएफटी वेबसाइट से सिस्टम द्वारा जेनरेट हुआ है। इसमें वही जानकारी दी गई है जो इस विवरण के प्रिंट होने की तारीख और समय पर उपलब्ध थी। इस/नवीनतम जानकारी को क्यूआर कोड को स्कैन करके या डीजीएफटी की वेबसाइट (<https://www.dgft.gov.in>) -> सेवाएं -> ईबीआरसी -> कोई भी ईबीआरसी के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है।

प्राप्त भुगतान मूल्य पर टिप्पणी

- प्राप्त किया गया भुगतान मूल्य विदेशी मुद्रा या भारतीय रूपए में होती है और यह सीआईएफ, सीएंडएफ, एफओबी शर्तों या अन्य इनकोटर्म्स में हो सकती है, जैसा कि निर्यातक और वस्तुओं के क्रेता के बीच बातचीत हुई हो, और इसलिए इसमें कमीशन, माल ढुलाई, या बीमा शामिल हो भी सकता है और नहीं भी, जैसा भी मामला हो। आवश्यकता पड़ने पर, ऐसी जानकारी निर्यातक से प्राप्त की जा सकती है। डीजीएफटी का नीति परिपत्र सं 06 (आरडी-2012) / 2009-14 दिनांक 10.10.2012 इस बारे में विस्तार से व्याख्या करता है।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 9th January, 2026

No. 42/2025-26

Subject: Amendment in Appendix 2U of Handbook of Procedures, 2023 - regarding.

F. No. 01/89/180/75/AM-25/PC-2(A)/[E-44856]—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby notifies amendments to Appendix 2U for issuance of the *Electronic Bank Realisation Certificate (eBRC)* under the *Handbook of Procedures, 2023*.

2. The following changes have been made in the existing eBRC format:

(i) Addition of New Fields in the existing eBRC Format:

- GSTIN*
- GST Invoice No*
- GST Invoice Date*

(ii) Modification of Field Levels in Existing eBRC Format:

- Address/GSTIN* changed to *Address*.

Effect of this Public Notice: Appendix 2U of the Handbook of Procedures, 2023 has been revised to incorporate the above changes enclosed (Annexure-I). It will be operationalised with effect from 13th January, 2026.

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

APPENDIX-2U
DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE
STATEMENT OF BANK REALISATION

1. Firm Name					
2. Address					
3. IEC					
4. GSTIN					
5. Shipping Bill No					
6. Shipping Bill Date					
7. Shipping Bill Port					
8. Bill ID No.					
9. GST Invoice No.					
10. GST Invoice Date					
11. Modes of Export of Services					
12. Bank Name					
13. Bank Realisation Certificate No.					
14. Date of Realisation of Money by Bank					
15. Total Realised Value					
16. Commission, Discount, Insurance, Freight and Other Deductions					
17. Net Realised Value					
18. Currency of Realisation					
19. Date and Time of Printing					
20. QR Code Scan to Validate Online on DGFT Website: https://www.dgft.gov.in	21	Source (Bank / Exporter)			

About the statement

- This statement is system-generated from the DGFT website. It reproduces the information as available on the date and time of printing of this statement. This / Latest information can be verified by scanning the QR Code or validating from the DGFT website (<https://www.dgft.gov.in>) -> Services -> eBRC -> View Any eBRC.

Note on the Realised Value

- The realised value is denominated in Foreign Currency or INR and may be in CIF, C&F FOB terms or other INCOTERMS as negotiated between exporter and buyer of the goods and hence it may or may not include Commission, Freight, or Insurance as the case may be. Such details may be obtained from exporters, if needed. Policy Circular No. 06 (RE-2012) / 2009-14 Dated 10.10.2012 of DGFT explains this in detail.